न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0: 2/2024 — तारीख रजू:–04.04.2024

पीठासीन अधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. भैरू पुत्र रामरतन गुर्जर (फोत)
   1/1. देवीशंकर पुत्र भैरू गुर्जर
   1/2. चौथमल पुत्र भैरू गुर्जर
2. श्रीमति छोटा पत्नि भैरू गुर्जर
   निवासीयान चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–वादीगण

बनाम

1. हरिराम पुत्र मोहरपाल मीना निवासी मुवा, तहसील उनियारा, जिला टोंक।
2. फोरी देवी पत्नि चौथमल गुर्जर, निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. शहनाज बानो पत्नि इमामुद्दीन देसवाली, निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
4. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा।

–प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

उपस्थित:–

वकील वादीगण:– श्री अब्दुल वहाब , एडवोकेट

वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3:–एकपक्षीय कार्यवाही

दावा बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए आर0टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक 10.11.2025

–: निर्णय :–

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि–

❖ वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 ग्राम चौथ का बरवाड़ा के एवं प्रतिवादी संख्या 3 ग्राम मुवा तहसील उनियारा, जिला टोंक के निवासी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.11 16:26:39 IST
Reason: SelfAttested

❖ साबिक आराजी खसरा नंबर 2403 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा वाके [illegible] चौथ का बरवाड़ा में गणेश नारायण पुत्र गेन्दीलाल धाबाई निवासी चौथ का बरवाड़ा के हिस्से 19/50 व प्रभूदयाल पुत्र भूरामल महाजन निवासी चौथ का बरवाड़ा के हिस्से 31/50 की खातेदारी भूमि स्थित थी।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

❖ गणेश नारायण पुत्र गेन्दीलाल धाबाई को घरू खर्च वास्ते रूपयों की आवश्यकता हुई तो उसने अपनी खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 2403 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम चौथ का बरवाड़ा का हिस्सा 19/50 केदारनाथ साहू पुत्र हीरालाल जाति वैश्य निवासी अजमेर, अखिलेश प्रसाद पुत्र रामेश्वर प्रसाद जाति कायस्थ निवासी अजमेर, रूपसिंह पुत्र गणेशीलाल ब्राहमण निवासी बीच का पुरा जिला धोलपुर व नन्दपाल पुत्र भैरूलाल जाति मीना निवासी रहीथा कलां जिला सवाई माधोपुर को जरिए रजिस्टर्ड विकय पत्र हिस्सा बराबर बेचान किया जिसका नामान्तकरण संख्या 1655 दिनांक 21.03. 85 केतागण के नाम तस्दीक होकर जमाबंदी सम्वत 2037 से 2040 में अंकन होकर खातेदारी इन्द्राजात हो गये।

❖ मुसम्मी केदारनाथ साहू, अखिलेश प्रसाद कायस्थ, रूपसिंह ब्राहमण व नन्दपाल मीना से वादीगण एवं प्रतिवादी नं० 1 ने उनके कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 2403 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा याके ग्राम चौथ का बरवाड़ा हिस्सा 19/50 दिनांक 06.06.1992 को जरिए रजिस्टर्ड विकय पत्र खरीद किया जिसमें अंकित किया कि चूंकि नन्दपाल पुत्र भैरूलाल जाति मीना निवासी रहीथा कलां का उक्त भूमि मे हिस्सा 1/4 था। इसलिए केता प्रतिवादी नं० 1 हरिराम मीना ने उसका हिस्सा 1/4 ही खरीद किया है तथा शेष 3/4 हिस्सा वादीगण ने खरीद किया है।

❖ वादीगण एवं प्रतिवादी नं० 1 ने जब दिनांक 06.06.1992 को उक्त भूमि खरीद की तब चौथ का बरवाड़ा में भू–प्रबन्ध का कार्य चल रहा था एवं प्रतिवादी नं० 1 के नाम नामान्तकरण संख्या 73 दिनांक 16.06.1992 को भरकर अतिरिक्त तहसीलदार साहब चौथ का बरवाड़ा से दिनांक 19.06.1992 को तस्दीक करवा लिया जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी नं० 1 का हिस्सा 19/50 में बराबर–बराबर हिस्सा अंकित कर दिया जबकि मुताबिक रजिस्टर्ड विकय पत्र के प्रतिवादी नं० 1 के नाम 1/4 हिस्से का ही नामान्तकरण भरा जाना चाहिए था, जो नहीं भरकर गलती की है। इसलिये उक्त नामान्तरकरण निरस्त योग्य है।

❖ अभी हाल में हुऐ सेटलमेन्ट के दौरान उक्त साबिक खसरा नम्बर 2403 रकबा 20 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम चौथ का बरवाड़ा के नवीन खसरा नम्बर 2797 रकबा 2. 50 है०, 2825 रकबा 2.60 है० बनाये गये है।

❖ वादीगण एवं प्रतिवादी नं० एक के द्वारा दिनाक 06.06.1992 को खरीद किए हिस्से 19/50 के अनुसार वादीगण के नाम 3/4 हिस्से के मुताबिक 57/200 एवं प्रतिवादी नं० एक के नाम 19/200 हिस्से की खातेदारी अंकित होनी चाहिए थी। परन्तु सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा जारी की गई जमाबंदी में प्रतिवादी नं० 1 का हिस्सा 19/100 दर्ज कर दिया जबकि प्रतिवादी नं० 1 का हिस्सा 19/100 नहीं होकर 19/200 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। जो नहीं कर गलत इन्द्राजात किए है जो दुरूस्त होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.11 16:26:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

❖ वादीगण ग्रामीण परिवेश के अनपढ व्यक्ति है। जिनका सेटिलमेन्ट विभाग वालो के द्वारा भरे गये नामान्तकरण संख्या 73 दिनांक 19.06.1992 व सेटिलमेन्ट विभाग वालो द्वारा गलत तरीके से जारी की गई जमाबंदी इन्द्राजात की कोई जानकारी नहीं थी। परन्तु वादीगण केसीसी बनवाने हेतु पटवारी हल्का के पास दिनांक 30.10.2023 को फाइल तैयार करवाने गये तब पटवारी हल्का ने बताया कि तुम्हारी खरीद शुदा भूमि से जमाबंदी का रकबा कम है। इसलिए तुम सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दुरूस्त करवाओ। इस पर वादीगण ने आवश्यक नकले निकलवाई तब पूर्ण जानकारी हुई कि वादीगण ने जितनी भूमि खरीद की है उतना रकबा खातेदारी में नहीं है। बल्कि कम खातेदारी भूमि का इन्द्राज हो गया है। इसलिए वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वो नामान्तकरण संख्या 73 दिनांक 19.06.1992 जो विकय पत्र के आधार पर गलत भरा जाकर तस्दीन्हुआ है को निरस्त करवाकर वादीगण अपने नाम खातेदारी की घोषणा करवाये कि वो नवीन आराजी खसरा नम्बर 2797 व 2825 के हिस्से 57/200 के तथा प्रतिवादी नं० एक हिस्सा 19/200 का खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकार्ड एवं रिकार्ड ऑफ राईटस में अपने नाम अंकन करवाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी नं० 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वो वादीगण के कब्जे काश्त में न तो स्वयं कोई बाधा उत्पन्न करे ना किसी अन्य से करावे और न ही अपने नाम गलत खातेदारी इन्द्राजात होने का नाजाइज फायदा उठाकर किसी अन्य को रहन, बेचान या मुबन्तकिल नहीं करे। बस यही बिनाय दावा पैदा होकर दावा करना लाजिम आया।

❖ बिनाए दावा दिनांक 30.10.2023 को अन्दर हदूद अदालते वाला पैदा होकर दावा करना लाजिम आया।

❖ प्रतिवादी नं0 2 व 3 ने विवादित आराजीयात के सह खातेदार प्रभूदयाल पुत्र भूरामल महाजन निवासी चौथ का बरवाड़ा के वारिसान से उसका हिस्सा 31/50 जरिए रजिस्टर्ड विकय पत्र खरीद किया है तथा वो सह खातेदार है इसलिए उनको फोरमल पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी नं0 4 लेण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

❖ अतः दावा वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि-

- घोषणा इस अमर फरमाई जावे कि वादीगण साबिक आराजी खसरा नम्बर ... रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम चौथ का बरवाड़ा के बन्दोबस्त ... खसरा नम्बर 2797 रकबा 2.50 है0, 2825 रकबा 2.60 है० कुल किता दो कुल रकबा 5.10 है० याके ग्राम चौथ का बरवाडा पटवार हल्का चौथ का बरवाड़ा बी के हिस्से 19/50 के 3/4 हिस्से अर्थात कुल 57/200 हिस्से के खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकार्ड एवं रिकार्ड ऑफ राईटस में अपने नाम अंकन करवाने के अधिकारी है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.11 16:26:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

- साबिक आराजी खसरा नम्बर 2403 के बने नवीन खसरा नम्बर 2797 व 2825 वाके ग्राम चौथ का बरवाड़ा में प्रतिवादी नं० एक का दर्ज 19/100 हिस्सा हजफ किया जाकर 19/50 का 1/4 हिस्सा अर्थात 19/200 हिस्सा दर्ज फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त फरमाया जावे।

- नामान्तकरण संख्या 73 दिनांक 19.06.1992 वाके ग्राम चौथ का बरवाड़ा को निरस्त फरमाया जावे।

- प्रतिवादी नं० 1 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वो वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि नवीन खसरा नम्बर 2797, 2825 वाके ग्राम चौथ का बरवाड़ा पटवार हल्का चौथ का बरवाड़ा बी के हिस्से 57/200 के कब्जे काश्त में न तो स्वयं कोई बाधा उत्पन्न करें ना किसी अन्य से करावे और न ही अपने नाम हुए गलत खातेदारी इन्द्राजात का नाजायज फायदा उठाकर किसी अन्य को रहन, बेचान या मुन्तकिल नहीं करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम प्रतिप्रार्थीगण जारी किये जाकर उन्हे न्यायालय में तलब किया।

3. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद तामील न्यायालय से अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 07.04.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. वकील वादीगण ने साक्ष्य के समर्थन में निम्नानुसार मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं–

- पी0डब्ल्यू–01:–चौथमल पुत्र भैरू गुर्जर निवासी चौथ का बरवाड़ा।
- पी0डब्ल्यू–02:–इमामुद्दीन पुत्र सुलेमान जाति मुसलमान, निवासी चौथ का बरवाड़ा
- प्रदर्श–1:–जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता संख्या 316 वाके ग्राम चौथ का बरवाड़ा।
- प्रदर्श–2:–नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 16.6.1992
- प्रदर्श–03:–जमाबंदी संवत् 2037–2040 खाता संख्या ग्राम चौथ का बरवाड़ा
- प्रदर्श–4:–मिलान क्षेत्रफल ग्राम चौथ का बरवाड़ा।
- प्रदर्श–05:–रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.06.1992

5. वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। मैंने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.11 16:26:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

6. मिलान क्षेत्रफल **(प्रदर्श–4)** के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात साबिक खसरा नंबर 2403 के नये खसरा नंबर 2797 रकबा 2.50 एवं खसरा नंबर 2825 रकबा 2.60 है0 बने हैं। रजिस्टर्ड विकय पत्र **(प्रदर्श–5)** के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने साबिक खसरा नंबर 2403 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम चौथ का बरवाड़ा का 19/50 हिस्सा दिनांक 06.06.1992 को रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय किया था। नन्दपाल पुत्र भैरूलाल मीना निवासी रईथा कलां का उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा था, इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 ने उसका 1/4 हिस्सा ही खरीद किया तथा शेष 3/4 हिस्सा वादीगण ने खरीद किया। नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 16.06.1992 **(प्रदर्श–2)** भरते समय वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा बराबर कर दिया, जिसकी पुष्टि **(प्रदर्श–2)** के अवलोकन से हो रही है, जबकि मुताबिक रजिस्टर्ड विकय पत्र **(प्रदर्श–5)** के प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्से का ही नामान्तरकरण भरा जाना चाहिये था। गवाह **पी0डब्ल्यू–02**, जो कि प्रतिवादी संख्या 3 के पति है, ने भी अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि वादीगण देवीशंकर व चौथमल के पिता भैरू व माता छोटा देवी गुर्जर ने विवादित आराजीयात का 3/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय किया था, परन्तु उनका हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड मे कम दर्ज किया है, जबकि वादीगण का हिस्सा 57/200 व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 19/200 दर्ज होना चाहिये।

7. उपरोक्त विवेचन से वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

–:आदेश:–

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं नामान्तरकण संख्या 73 दिनांक 19.06.1992 को निरस्त किया जाता है और तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि वे ग्राम चौथ का बरवाड़ा के पटवार मण्डल चौथ का बरवाड़ा बी में स्थित खसरा नंबर 2797 व 2825 में प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा 19/200 एवं वादीगण का हिस्सा 57/200 का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 2797 व खसरा नंबर 2825 वाके ग्राम चौथ क बरवाड़ा के 57/200 हिस्सा 57/200 के कब्जे काश्त में किसी भी तरह से व्यवधान उत्पन्न न करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को खुल न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra
Date: 2025.11.11 16:26:39 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा